न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 09 / 2024

प्रकरण दर्ज तिथि :— 18.01.2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 14

वादीगण :—

1. मुमी पत्नी स्वर्गीय नाथुसिंहजी, उम्र— 70 साल
2. शान्ति पत्नी तेजाजी, उम्र— 46 साल
3. सुरेन्द्रसिंह चोहान पुत्र तेजा उर्फ तेजसिंहजी, उम्र— 28 साल
4. विजेन्द्रसिंह पुत्र तेजासिंह उर्फ तेजा, उम्र— 23 साल
5. पूजा पुत्री तेजा उर्फ तेजासिंह, उम्र— 27 साल
6. मैना पुत्री तेजा उर्फ तेजसिंह, उम्र— 24 साल
7. गोपाल पुत्र नाथुजी, उम्र— व्ययस्क
8. पप्पु पुत्र नाथुजी, उम्र— व्ययस्क
9. बिरम पुत्र नाथुजी, उम्र— व्ययस्क

जातियान— रावत, निवासीगण— सराधना, तहसील— रायपुर, जिला— ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. हरजी पुत्र उदा उम्र— व्ययस्क, जाति— मेहरात, निवासी— सराधना, तहसील— रायपुर, जिला— ब्यावर (राजस्थान)
2. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय— रायपुर, जिला— ब्यावर
3. पटवारी, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील— रायपुर, जिला— ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण

2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 19.02.2024

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम सराधना, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील— रायपुर, जिला— ब्यावर में खसरा नम्बर 248 आई हुई है। वादीगण के पूर्वज नाथु पुत्र लाला, जाति— मेहरात, निवासी— सराधना को ग्राम सराधना के खसरा नम्बर 248 में 10 बीघा अर्थात 2.5290 हैक्टेयर भूमि दिनांक 01.01.1979 को आवंटन कमेटी ने आवंटित कर कब्जा वादीगण के पूर्वजो को सुपुर्द किया, आवंटन के समय से वादीगण व उनके पूर्वज नियमित रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे है, आवंटन आदेश की प्रति वाद के साथ प्रस्तुत की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। आवंटित नाथु पुत्र लाला की वृक्ष वंशावली निम्नानुसार है :—

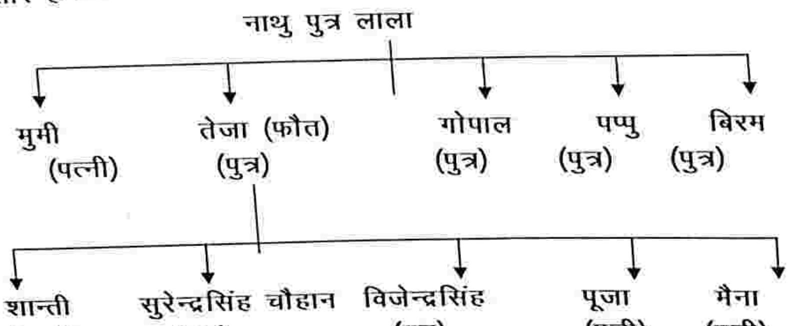

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आवंटि नाथु पुत्र लाला का देहान्त दिनांक 13.01.1987 को हो गया, आवंटि के पुत्र तेजा का देहान्त आज से करीबन 03 वर्ष पूर्व हो गया, तब दिनांक 05.12.2023 को वादीगण संख्या 02 से लगायत 06 ने नामान्तकरण भरवाने हेतू हल्का पटवारी से निवेदन किया, कि खसरा नम्बर 248 में दादा श्री नाथु पुत्र लाला के नाम 10 बीघा अर्थात 2.5290 हैक्टेयर भूमि आती है, जिसके आवंटन आदेश की प्रति वादीगण के पास मौजूद है, एवं कब्जा काश्त निरन्तर चली आ रही है, तब हल्का पटवारी ने राजस्व रिकोर्ड देखकर कहाँ कि उक्त आवंटन आदेश की पालना में कोई नामान्तकरण नही भरा गया है, और राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही है, इसलिये आपको न्यायालय से आदेश लाना होगा। न्यायालय के आदेश के बिना नामान्तकरण नही भरूंगा। इसलिये यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 03 हल्का पटवारी अमरपुरा से दिनांक 08.10.2023 को निवेदन किया कि उक्त आवंटन आदेश वर्तमान मे विध्यमान है, जो निरस्त नही हुआ है, जिसकी पालना आपको करनी चाहिये, तब हल्का पटवारी ने कहाँ कि उक्त आवंटन आदेश पुराना हो चुका है, नये आदेश के बिना नामान्तकरण नही भर सकता हूँ, और उक्त खसरा परिवर्तन भी हो गया है, जो नये खसरा नम्बर 518/510 हो गया है, खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6141 हैक्टेयर है, इस कारण से भी मै उक्त आदेश की पालना नही कर सकता, यदि वादीगण के पूर्वज के नाम जारी आवंटन आदेश के अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नही किया जाता है, एवं खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी, तथा वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिये वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद माननीय न्यायालय में पेश कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादीगण की उक्त खातेदारी जमीन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न करता है, तथा दिनांक 10.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि मैं तुम्हारी पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर दूंगा, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 एक को ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 एक ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसे जरिये निषेधाज्ञा के बेदखल किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी, इसलिये वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के समक्ष पेश कर रहे है। प्रतिवादी संख्या– 3 के प्रतिवादी संख्या– 2 अधीन है, इसलिये प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या– 2 दो उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के लैण्ड होल्डर है, इसलिये प्रतिवादीगण को इस वाद मे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या– 2 व 3 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत नाम के आधार पर वादीगण को जमीन से बेदखल कर देगे, इसलिये बिना नोटिस दिये ही श्रीमानजी से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनायदावा उक्त रेकर्ड की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण को अपने नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई, तब दिनांक– 08.12.2023 को राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटन अनुसार वादीगण का नाम इन्द्राज करने का कहने पर प्रतिवादी संख्या– 3 तीन द्वारा मना करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक द्वारा जबरदस्ती बिना किसी हक अधिकार के वादीगण को कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकिया दिनांक 10.12.2023 को देने पर बमुकाम– सराधना, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार, हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक में वर्णित 248 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6141 हैक्टेयर में वादीगण की 10 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक में वर्णित 248 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6141 हैक्टेयर में वादीगण की 10 बीघा में वादीगण के हक अनुसार वादीगण के उपयोग उपभोग, काश्त काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके अधिनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर, हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादीगण तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक /राजस्व/2024/207 दिनांक 05.02.2024 द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जों पत्रावली संलग्न की गई हैं जिसमें वादीगण भूमी पतिन स्वर्गीय नाथुसिंह, शान्ति पत्नि तेजा, गोपाल पुत्र नाथुजी, पप्पू पुत्र नाथु, विरम पुत्र नाथु जातिगण रावत निवासीगण सराधना तहसील रायपुर के कब्जा काश्त मौका हेतु राजस्व गांव सराधना अमरपुरा के खसरा नम्बर 518/510 किस्म गै मु दांती रकबा 94.6148 हैक्टेयर के मौके पर काबिज काश्त का मौका देखा गया हैं। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6148 है में से 2.5290 है (10 बीघा) में वादीगणों का आवंटन के समय से आदिनांकि तक कब्जा काश्त हैं। जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया हैं। वादीगण का राजस्व ग्राम सराधना के वर्तमान खसरा नम्बर 518/510 तथा आवंटन के समय खसरा नम्बर 248 (जो कि वर्तमान में 518/510 नया खसरा नम्बर से दर्ज हैं) पर कब्जा काश्त हैं। साथ ही उपरोक्त भूमि में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाए तो तहसीलदार रायपुर को कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6148 है में से 2.5290 है (10 बीघा) भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा हैं, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बहस में बताया कि उक्त वादीगण का वर्तमान में भी आज दिनांक तक कब्जा काश्त हैं। इसीलिए तहसीलदार रायपुर की रिपोर्टअनुसार भी वादीगण को खातेदार घोषित करने के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा– सराधना पटवार हल्का अमरपुरा के खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6148 है में से 2.5290 है (10 बीघा) में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता हैं कि वादीगण का ही कब्जा एवं आवंटन हैं। वादीगण का राजस्व ग्राम सराधना के आवंटन के समय खसरा नम्बर 248 था। वह वर्तमान खसरा नम्बर 518/510 हैं। तथा अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सराधना पटवार हल्का अमरपुरा के खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6148 है में से 2.5290 है (10 बीघा), वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सराधना पटवार हल्का अमरपुरा के खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6148 है में से 2.5290 है (10 बीघा) भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

वादीगण :–
1. मुमी पत्नी स्वर्गीय नाथुसिंहजी, उम्र– 70 साल
2. शान्ति पत्नी तेजाजी, उम्र– 46 साल
3. सुरेन्द्रसिंह चोहान पुत्र तेजा उर्फ तेजसिंहजी, उम्र– 28 साल
4. विजेन्द्रसिंह पुत्र तेजासिंह उर्फ तेजा, उम्र– 23 साल
5. पूजा पुत्री तेजा उर्फ तेजासिंह, उम्र– 27 साल
6. मैना पुत्री तेजा उर्फ तेजसिंह, उम्र– 24 साल
7. गोपाल पुत्र नाथुजी, उम्र– व्ययस्क
8. पप्पु पुत्र नाथुजी, उम्र– व्ययस्क
9. बिरमा पुत्र नाथुजी, उम्र– व्ययस्क

जातियान– रावत, निवासीगण– सराधना, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. हरजी पुत्र उदा उम्र– व्ययस्क, जाति– मेहरात, निवासी– सराधना, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर (राजस्थान)
2. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय– रायपुर, जिला– ब्यावर
3. पटवारी, पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 09/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैराकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सराधना पटवार हल्का अमरपुरा के खसरा नम्बर 518/510 रकबा 94.6148 है में से 2.5290 है (10 बीघा) भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... नीज.....................×.................मुवलिक...............×..............वावत्............×............ ....×..........................को अदा करे।

...×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक

वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.02.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बावत इजराय हुक्मनामा	–		
बावत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक		10	00	मीजान		00	00
मीजान		18	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।